

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100499

दिनांक: 03/02/2026

लोक सूचना

श्रीमति NEW PATH DEVELOPERS LLP THROUGH DESIGNATED PARTNER SUMAN DHAKED पत्नी श्री HIMANSHU NAGAR जाति JAT निवासी 2ND FLOOR, OFFICE NO. 209, RIYASAT TOWER, KHASRA NO. 688/1, RAMPURA ROAD, BEHIND ISKON TEMPLE, SUKHIYA, S.F.S. MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN - 302020

श्रीमति NEW PATH DEVELOPERS LLP THROUGH DESIGNATED PARTNER SUMAN DHAKED श्री HIMANSHU NAGAR जाति JAT निवासी 2ND FLOOR, OFFICE NO. 209, RIYASAT TOWER, KHASRA NO. 688/1, RAMPURA ROAD, BEHIND ISKON TEMPLE, SUKHIYA, S.F.S. MANSAROVAR, JAIPUR, RAJASTHAN - 302020

श्री RAMDHAN THROUGH POWER OF ATTORNEY RAMDHAN MEENA पुत्र श्री CHOTU RAM MEENA जाति MEENA निवासी DHORALA, JAIPUR, RAJASTHAN

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) न्यू पाथ डवलपर्स एल एल पी हिस्सा पूर्ण जाति पंजीकृत कार्यालय 2nd फ्लोर ऑफिस नं. 209 रियासत टॉवर मानसरोवर जयपुर खातेदार	1212/494	0.16	0.16
2.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) न्यू पाथ डवलपर्स एल एल पी हिस्सा पूर्ण जाति पंजीकृत कार्यालय 2nd फ्लोर ऑफिस नं. 209 रियासत टॉवर मानसरोवर जयपुर खातेदार	1214/495	0.07	0.07
3.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) रामधन पुत्र नैनूराम हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. देह खातेदार	496	0.23	0.23

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**।" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **03-02-2026** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
RAJASTHAN PATRIKA & MAHANAGAR TIMES

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

